राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

कमांक–न्याय/2018/ 7295

दिनांकः 20.12.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला/18/40454–55 दिनांक 18.12.2018 से पुलिस थाना झालरापाटन के अभियोग सं0 314/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट में अभियुक्त 1– अशफाक खां पिता अब्दुल रसूल जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी उचावदा थाना घाटोली 2– सादिक हुसैन पुत्र इस्लाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बजांरी मोहल्ला घाटोली जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.11.18 को श्री जगदीश प्रसाद पु0नि0 थानाधिकारी मय जाप्ता गश्त ईलाका व चैकिग अवैध कार्य के 1– अशफाक खां पिता अब्दुल रसूल जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी उचावदा थाना घाटोली पर सदेंह होने पर तलाशी ली जाने पर कमर पर दाहिनी तरफ पहनी हुई पेंट के अंदर एक देशी पिस्टल मिली जिसकी मैगजीन खाली मिली तथा पेंट की दाहिनी जेब से एक जिंदा कारतूस 7.65 केएफ मिला 2– सादिक हुसैन पुत्र इस्लाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बजांरी मोहल्ला घाटोली जिला झालावाड पर संदेह होने पर तलाशी ली जाने पर दाहिनी तरफ पेंट के अंदर एक देशी पिस्टल मिली तथा पेंट की दाहिनी हजेब से दो जिंदा कारतूस जिनकी टोपी पर केएफ लिखा हुआ था, मिला एंव जिसको अपने कब्जे मे रखना या परिवहन करने के संबध मे अनुज्ञापत्र नही होने पर मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाने पर अपराध स0 314/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजिबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसन्धान निरीक्षण घटना स्थल फरियादी व गवाहन के कथन लेखबद्व किये गये। अनसुंधान से अभियुक्त के विरूद्व 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया। उक्त जप्तशुदा 2 देशी पिस्टल 7.65 एमएम व 3 जिदा कारतूस का आर्मोरर पुलिस लाईन द्वारा मेकेनिकल मुआयना करवाये जाने पर उन्होने अपनी रिपोर्ट मे 2 देशी पिस्टल 7.65 एएम फायर करने योग्य एंव फायर आर्म्स की जद मे एंव 3 जिदा कारतूस 7.65 एमएम एम्युनेशन की परिभाषा मे आना बताया। अभियुक्त के पास अनुज्ञापत्र होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजू उदयवाल उनि व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड 1 देशी पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त 1– अशफाक खां पिता अब्दुल रसूल जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी उचावदा थाना घाटोली 2– सादिक हुसैन पुत्र इस्लाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बजांरी मोहल्ला घाटोली जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड